




भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्योलय, रायपूर





ਚੰ- CHG/KNK/Fe-06/NGP

खान कोड- 30CHG08007

दिनांक:-14.07.2023

प्रेषिति-

श्री श्रवण कुमार गोयल, नामित खान मालिक, हाहालदी लौह अयस्क खान, सर्वश्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, ग्राम - बोरझरा, उरला-गुमा रोड, उरला ग्रोथ सेंटर, रायपुर, छत्तीसगढ़-493221 ईमेल-mining@goelgroup.co.in

श्री डी. के. महंत, खान एजेंट, हाहालदी लौह अयस्क खान, सर्वश्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, ग्राम - बोरझरा, उरला-गुमा रोड, उरला ग्रोथ सेंटर, रायपुर, छत्तीसगढ़-493221 ईमेल- dk.mahanta@goelgroup.co.in

विषय :छत्तीसगढ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपके हाहालदी लौह अयस्क खान 75.00 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 (MCDR, 2017 as amended) के नियमों के संबंध में।

महोदय.

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 07.06.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री डी. के. महंत, खान एजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, Mining operations observed not carried out in your aforesaid mine in accordance with the Modification of Review of Mining Plan (MRMP) approved dated: 21.04.2021 to the extent indicated below: In MRMP, Waste dumping was proposed to be carried out in South-East side of the aforesaid mining lease area (between N-2232400 to N-2232600 and E-489900 to E-49010) in year 2021-22; and in South-West side of the mining lease area over the existing waste dump up to the top mRL-555 in year 2022-23. However, it was observed during inspection that waste dumping has not been carried out at aforesaid earmarked place in South-East side of the lease area (between N-2232400 to N-2232600 and E-489900 to E-49010). Instead, waste dumping has only been carried out in South-West side of the mining lease area over the existing waste dump by increasing its height to about 15 m more than proposed (proposed dump height up to mRL -555 and existing dump height reached up to mRL -571 as on date of survey 10.04.2023) and continuing over the same. Thus, the overall height of said waste dump has reached to about 100 m (bottom mRL of about 470 and top mRL of about 571), which may result in failure/collapse of this dump. Hence, above are observed to be against the systematic & scientific development of the mine and also against the protection of environment in the mine.

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एबं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने पर आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एबं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) के अंतर्गत खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश) क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

- 1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001 ।
- 2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो